

\* राशमी

3/3/21

पत्रावली पैश हुई। अधिवक्ता वकील  
 खाजिर नहीं। पुलिसवादी अधिवक्ता वकील  
 अधिवक्ता वकील को न्यायालय समय  
 समाप्त तक कल-कल अवकाश लावाई  
 गई, किन्तु कोई प्रतिनिधि हाजिर नहीं  
 हुए। न्यायालय समय समाप्त तक अवकाश  
 लावाई गई, किन्तु कोई खाजिर नहीं देखा  
 दिखी मैं अधिवक्ता वकील का वाद अन्तर्गत  
 द्वारा ७७ राज. का. अधिनियम १९५५  
 को अदम पैश। अदम हाजरी में शरीज  
 किया जाता है। पत्रावली की गणना नि-  
 र्गित इन्डान की जाकर व्याव. भाष्यकों  
 कार्यवाही अभिलेखार मंत्री जी जिवे निमित्त  
 खुले न्यायालय में पुनाया गया।

(सुनील शर्मा)  
 सहायक कलेक्टर  
 उपखण्ड अधिकारी,  
 राशमी

